

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक एफ.3(ई)(अलेसे-II)निप/लि.न.8903/ 12

दिनांक 12-5-20

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा (लिंक नं. 8903) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिनकी जन्म तिथि 23.01.1970 है, का दिनांक 04.02.2020 को निधन हो जाने के कारण इन्हे दिनांक 04.02.2020 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा के विरुद्ध :-

1. राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन /लम्बित नहीं है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक 12-5-20

क्रमांक एफ.3(ई)(अलेसे-II)निप/लि.न.8903/ 12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर/ग्रामीण)
4. श्रीमति रिमा मिश्रा पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, म.नं. 56/25 रजत पथ, मानसरोवर जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सचिव, राजस्थान विकास प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / एपीएआर शाखा

(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)